

150



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2014/आषाढ़ 27, 1936

No. 373]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2014/ASADHA 27, 1936

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 511(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के प्रथम परंतुक एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 76 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पंचम संशोधन विनियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।
(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में, अनुसूची में,
 - "आंध्र प्रदेश" शीर्षक और इसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"आन्ध्र प्रदेश

	राज्य सरकार के अधीन बरिष्ठ इयूटी पद	115
	मुख्य सचिव	1
	अपर मुख्य सचिव	2
	प्रधान सचिव/प्रधान सचिव- सह आयुक्त	12
	सरकार के सचिव	11
	सचिव-सह-आयुक्त	23
	सचिव, सीसीएलए	1
	क्लेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	13
	ज्वाइंट क्लेक्टर	13
	पीओ, आईटीडीए/पीडी, डीआरडीए/सीईओ, जेडपी	8
	संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त-वाणिज्यिक कर	2
	मुख्य राशन अधिकारी	1

	निदेशक	22
	सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव	6
1.	कुल बरिष्ठ इयूटी पद	115
2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 40%।	46
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 25%।	28
4.	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 3.5%।	4
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 16.5%	18
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं।	64
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6)	147
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	211*

- (ii) "तमिलनाडु" शीर्षक और इसके अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

तेलंगाना

राज्य सरकार के अधीन बरिष्ठ इयूटी पद	89
मुख्य सचिव	1
अपर मुख्य सचिव	1
प्रधान सचिव/प्रधान सचिव- सह आयुक्त	10
सरकार के सचिव	5
सचिव-सह-आयुक्त	22
सचिव, सीसीएलए	1
क्लेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट	10
ज्वाइंट क्लेक्टर	10
पीओ, आईटीडीए/पीडी, डीआरडीए/सीईओ, जेडपी	6
संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त-वाणिज्यिक कर	2
मुख्य राशन अधिकारी	1
निदेशक	16
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव	4

1.	कुल बरिष्ठ इयूटी पद	89
2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 40%।	35
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 25%।	22
4.	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 3.5%।	3
5.	छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम 16.5%	14
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं।	49
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6)	114
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	163*

[फा. सं. 11031/6/2014-अ.भा.से.-II(क)]

दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व आन्ध्र प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 376 थी।

टिप्पणी 2: मुख्य विनियम दिनांक 22.10.1955 की का.नि.आ. सं. 3350, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक सेवा के आन्ध्र प्रदेश संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था :—

क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	तारीख	क्रम संख्या	सा.का.नि. संख्या	तारीख
1.	663	29.06.1974	13.	412	07.06.1986
2.	1201	16.11.1974	14.	765	20.09.1986
3.	94	25.01.1975	15.	646	02.09.1989
4.	433	05.04.1975	16.	647	02.10.1990
5.	51(अ)	01.02.1977	17.	755(अ)	15.12.1993
6.	544(अ)	29.07.1977	18.	573(अ)	13.07.1994
7.	44	14.01.1978	19.	319(अ)	31.03.1995
8.	469	14.01.1978	20.	304	22.07.1997
9.	846	14.07.1978	21.	171	09.05.2000
10.	1237	14.10.1978	22.	786(अ)	24.12.2007
11.	289(अ)	10.05.1979	23.	862(अ)	18.12.2008
12.	616	24.07.1982	24.	919(अ)	30.12.2011

MINISTRY OF PERSONNEL AND PUBLIC RELATIONS